Remembering the misuse of U.S. arms received by Pakistan, against India we have the most serious misgivings whether the effect of the new U.S. policy will prove to be in conformity with their declared objectives.

पूर्वी अफ्रीका में भारतीय

*13. श्री ओमप्रकाश त्यागी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि पूर्वी अफ्रीका में बसे हुए अधिकांश भारतीयों ने भारत सरकार अथवा वहां पर स्थित भारतीय राजदूत के कहने पर ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली है तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् न तो ब्रिटिश सरकार और न ही भारतीय सरकार वहां पर उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा करने को तैयार है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान करने का है कि वे वहां रहते हुए फिर से भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकें ;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार से इस दिशा में बातचीत प्रारम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बातचीत की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि वह विदेशों में बसने वाले भारतीयों से यह जोर देकर कहे कि वे जिन देशों में रहते हैं, वहां की रहने वाली जनता की महत्वाकांक्षाओं के साथ चलने की आत्मसात करें और उन देशों की नागरिकता ग्रहण करें ।

पूर्वी अफ्रीका के पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के स्वाधीन होने से पहले बहुत-बड़ी संख्या में इन लोगों (देशीय लोगों के साथ समान रूप से) की ब्रिटिश राष्ट्रिकता ही थी । जब ये देश स्वाधीन हो गए तो भारत-मूलक लोगों को स्वतंत्र देशों की नई नागरिकता प्राप्त करनें का अवसर दिया गया और भारत सरकार तथा पूर्वी अफ्रीका में उसके प्रतिनिधियों ने भारतमूलक लोगों से स्थानीय नागरिकता ले लेने का आग्रह किया । कई तो नागरिक बन गए लेकिन अधिकांश व्यक्तियों ने स्थानीय नागरिकता ग्रहण नहीं की ।

(ख) भारतीय नागरिकता का नियमन भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किया जाता है । जो लोग विदेशों में रहते हुए भी भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर होने के लिये कानून के अंतर्गत योग्य पाये जाते हैं, उन्हें ऐसा करने की छूट है । लेकिन जो लोग इस तरह योग्य नहीं पाए जाते, वे भारत वापस आने पर इस देश में आवास की निर्धारित अवधि के बाद, नागरिकता के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने मात्र से ही इन देशों में रहने वाले और काम करने वाले लोगों की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होगा । भारतीय नागरिक उन देशों में विदेशी बने रहेंगे और उन्हें सभी अन्य गैर-नागरिकों की तरह काम करने और रहने के विषय में एक-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने आम तौर से, इन देशों में, जहां तक संभव हो सका है भारतमूलक लोगों के हितों की सुरक्षा करने की कोशिश की है । जहां कहीं संभव और आवश्यक हुआ है हम संबद्ध देशों के साथ उनकी ओर से बीच में पड़े हैं और समुचित मामलों को यूनाइटेड

मिशन के अधिकारियों के साथ उठाया भी गया है ।

Madam Svetlana

*14. Shri D. C. Sharma:
Shri George Fernandes:
Shri J. H. Patel:
Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Joshi:
Shri Indrajit Gupta:
Shri S. M. Banerjee:
Shri P. K. Deo:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri D. N. Deb:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Swell:
Shri Mohsin:
Shri D. N. Patodia:
Shri R. Barua:
Shri C. C. Desai:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Madam Svetlana, Stalin's daughter on her arrival in New York, has again expressed her desire to settle in India;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken in the matter?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) The Government of India is aware of newspaper reports wherein Madam Svetlana is said to have expressed a desire to return to India.

(b) It is not for the Government of India to react to statements of this nature by a private individual at a Press conference.

(c) Does not arise.

Revocation of South Africa's Mandate over South West Africa

*15. **Dr. Ranen Sen**: Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) Government's position in regard to the revocation of South Africa's mandate over the South West Africa; and

(b) the stand taken by other world powers regarding this issue?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). The Government of India voted for the General Assembly Resolution No. 2145 adopted at its 21st Session on the 27th October, 1966. This Resolution declared that South Africa had failed to fulfil its obligations in respect of the administration of South West Africa and had in fact disavowed the Mandate, and the General Assembly therefore decided that the Mandate had therefore terminated, and that henceforth South West Africa would come under the direct responsibility of the United Nations. The General Assembly set up an *Ad Hoc* Committee of 14 Member States to recommend practical means by which South West Africa should be administered by the U.N. The Resolution received 114 votes in its favour and 2 votes against it, namely South Africa and Portugal. The vast majority of the Member States supported the Resolution.

The fifth special session of the General Assembly, which is currently meeting in New York, has been considering the report of the Ad Hoc Committee, which has not put forward any specific recommendations for action by the General Assembly. India together with 57 countries has tabled a draft resolution, which *inter alia* proposes the establishment of a United Nations Council and the appointment of a United Nations Commissioner for the purpose of administering South West Africa until it attains its independence. The draft resolution also envisages measures by the Security Council to enable its implementation. The sponsors of the draft resolution are now engaged in informal consultations with other Members with a view to securing the maximum support for it.